न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

समक्षः एम0के0 सिंह
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निग0 1841–दो/06 विरूद्ध आदेश दिनांक 18–8–06 पारित द्वारा अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना प्रकरण क्रमांक 50/2005–06/निगरानी.

1– रामादीन पुत्र श्री रामरूप
निवासी डी.एस.डी. केरला

2– वेदप्रकाश पुत्र श्री रामरूप,
निवासी एन. सी. जी. नई दिल्ली ——— आवेदकगण

विरूद्ध

श्री देवीदयाल पुत्र श्री बलवन्त प्रसाद
निवासी विरधनपुरा
तहसील व जिला भिण्ड म.प्र. ——— अनावेदक

श्री एस.के. अवस्थी, अधिवक्ता, आवेदक.
अनावेदकगण – एकपक्षीय.

:: आदेश ::

(आज दिनांक 09-3-2015 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना के प्रकरण क्रमांक 50/2005–06/निगरानी में पारित आदेश दिनांक 18–8–06 के विरूद्ध म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई हैं ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदकों द्वारा ग्राम पंचायत, विरधनपुरा के समक्ष ग्राम रहला स्थित विवादित भूमि सर्वे नं. 109 रकबा 0.58 हैक्टर पर रजिस्टर्ड विक्रयपत्र के आधार पर नामांतरण हेतु आवेदन पेश किया । उक्त आवेदन पर से ग्राम पंचायत, विरधनपुरा ने नामांतरण पंजी क. 1 दिनांक 10.1.99 एवं प्रस्ताव ठहराव क. 4 दिनांक 26–2–99 द्वारा विक्रेता के स्थान पर आवेदकों का नामांतरण स्वीकार किया । इस आदेश के विरूद्ध अनावेदक ने अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की जिसमं उन्होंने दिनांक 8–9–05 को आदेश पारित करते हुए ग्राम पंचायत का

आदेश निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार, भिण्ड को प्रत्यावर्तित किया । इस आदेश के विरूद्ध आवेदकों ने कलेक्टर, भिण्ड के न्यायालय में निगरानी पेश की गई जो उन्होंने आदेश दिनांक 8–12–05 द्वारा निरस्त की गई । कलेक्टर, भिण्ड के आदेश के विरूद्ध आवेदकों ने अधीनस्थ न्यायालय में निगरानी पेश की जो अपर आयुक्त ने आलोच्य आदेश द्वारा निरस्त की है । अपर आयुक्त के आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है ।

3/ आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिये गये हैं कि प्रकरण में प्रत्यावर्तन का कोई आधार न होते हुए भी अनुविभागीय अधिकारी ने प्रकरण प्रत्यावर्तित करने में भूल की है । आवेदक द्वारा पंजीकृत विक्रयपत्र के आधार पर नामांतरण हेतु आवेदन पत्र दिया है । राजस्व न्यायालयों को पंजीकृत दस्तावेज की वैधता की जांच करने का अधिकार नहीं है ।

अधीक्षक, भू–अभिलेख द्वारा पंजीकृत विक्रयपत्र के आधार पर नामांतरण का जो आदेश दिया गया है वह संहिता के प्रावधानों के तहत ही पारित किया गया है ।

यह तर्क दिया गया है कि अनावेदक ने एस.डी.ओ. के न्यायालय में अपील लंबित रहने के दौरान विक्रय पत्र को निरस्त करने हेतु दीवानी वाद प्रस्तुत किया जा चुका था ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी को कार्यवाही को स्थगित रखना चाहिए था। किंतु अनुविभागीय अधिकारी द्वारा ऐसा नहीं किया गया जो माननीय उच्च न्यायालय के न्यायदृष्टांतों के विपरीत है । अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा भी प्रकरण के तथ्यों को अनदेखा कर आदेश पारित किए गए हैं जो अवैधानिक हैं ।

यह तर्क भी दिया गया है कि अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील अनावेदक ने 4 वर्ष पश्चात पेश की थी, जिसके साथ विलंब क्षमा का कोई आवेदन पेश नहीं किया गया था ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी को अपील निरस्त करना चाहिए था किंतु उन्होंने अपील को ग्राह्य किया जाकर विधि की भूल की है ।

यह तर्क दिया गया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आवेदकों के विरूद्ध अवैधानिक तरीके से एकपक्षीय कार्यवाही की गई है ।

4/ अनावेदक प्रकरण में एकपक्षीय है ।

5/ आवेदक अधिवक्ता के तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया गया । यह प्रकरण नामांतरण का है । प्रकरण में ग्राम पंचायत, विरधनपुरा द्वारा 26.2.99 को पंजीकृत विक्रयपत्र के आधार पर आवेदकों का नामांतरण किया गया, जिसके विरूद्ध अनावेदकों द्वारा एस.डी.ओ. के समक्ष अपील दिनांक 24.6.03 को की गई जिसमें उन्होंने

दिनांक 24.10.05 को आदेश पारित करते हुए तहसील न्यायालय का आदेश निरस्त कर प्रकरण प्रत्यावर्तित किया गया । इस आदेश की पुष्टि कलेक्टर एवं अपर आयुक्त द्वारा की गई है । प्रकरण के तथ्यों एवं अभिलेख को देखते हुए अनुविभागीय अधिकारी का जो आदेश है वह न्यायिक एवं विधिसम्मत नहीं है । अनुविभागीय अधिकारी का यह कहना कि विचारण न्यायालय ने गिरवी रखे हुए वापिस बैनामा के आधार पर नामांतरण किया गया है, सही नहीं है । जो विक्रयपत्र आवेदक की ओर से प्रस्तुत किया गया है उसमें भूमि गिरवी रखे जाने का कोई उल्लेख नहीं है । इसके अतिरिक्त अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष जो अपील की गई है वह विलंब से पेश की गई है । विलंब से प्रस्तुत प्रकरणों के संबंध में विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि सर्वप्रथम विलंब के प्रश्न का निराकरण किया जाना चाहिए उसके उपरांत ही प्रकरण में गुणदोषों पर निर्णय किया जा सकता है, इस संबंध में न्यायदृष्टांत 2002 आर0एन0 254 अवलोकनीय है जिसमें यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि समयवर्जित अपील परिसीमा का प्रश्न पहले सकारण आदेश द्वारा विनिश्चत किया जाना चाहिए जबकि इस प्रकरण में विलंब के बिंदु पर कोई निर्णय नहीं दिया गया है । इसके अतिरिक्त अभिलेख से यह भी स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील के साथ बिंलब क्षमा किए जाने का कोई आवेदन भी प्रस्तुत नहीं किया गया था, ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी को प्रकरण को अवधि के बिंदु पर निरस्त करना चाहिए था किंतु उनके द्वारा ऐसी नहीं किया गया । न्यायदृष्टांत 1996 आर0एन0 258 हीरालाल विरूद्ध नाथूलाल में निम्नलिखित न्यायिक सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है :–

" धारा 5– विलम्ब की माफी के लिए आवेदन तथा शपथ पत्र फाइल नहीं किया गया – 5 दिन का विलम्ब माफ नहीं किया जा सकता है ।"

अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा भी उक्त वैधानिक स्थिति को अनदेखा किया गया है । दर्शित परिस्थिति में अनुविभागीय अधिकारी का आदेश एवं उसकी पुष्टि करने संबंधी कलेक्टर एवं अपर आयुक्त के आदेश स्थिर नहीं रखे जा सकते ।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी, कलेक्टर एवं अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाते हैं एवं यह निगरानी स्वीकार की जाती है ।

(एम. के. सिंह)
सदस्य,
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश,
ग्वालियर